क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	05/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 22/8/24 को पेश हो।
	22/8/24	पत्रावली पेश हुई/P.O. साहब दौरे/अन्य कार्य वकुलाय द्वारा कार्य [illegible] रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली आगामी दिनांक 10/10/24 को पेश हो।
	10/10/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं. 4 व 5 के अधिवक्ता उपस्थित। मूल वादपत्र में अप्रार्थी सं. 8 व 9 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अप्रार्थी सं. 4 व 5 के अधिवक्ता ने जवाब T.I. नहीं दे कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त विवादित आराजी खसरा नं. 443, 444, 445/4, 792/3 कुल किता 4 कुल रकबा 0.2402 हेक्टर. स्थित

Sen

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर बस्सी जि. जयपुर ग्रामीण

संख्या / वर्ष कंशीधर बनाम नानू

21 / 2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	द्वितीय विवरण
	ग्राम बांसखोह प.ह. बांसखोह तह. बस्सी जि. जयपुर पर उभयपक्ष को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त विवादित आराजी पर ताफैसला वाद के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली कैसस शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।	